छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
विनियामक आयोग
छत्तीसगढ़ शासन

"विद्या निलयम"
ब्लॉक 7B, भू-तल, ऑफिस कैम्पस, सेक्टर 24
नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
पिनकोड : 492018
दूरभाष : 0771-2277580
ई-मेल : cgpurc18@gmail.com
वेबसाइट : www.purc.cgstate.gov.in

क्रमांकः 10113 / विविध / 171 / 2019 / 20648 नवा रायपुर, दिनांक 21 / 08 / 2024

प्रति,

कुलसचिव
मैट्स विश्वविद्यालय
ग्राम–गुल्लू, तहसील–आरंग
जिला–रायपुर (छ.ग.)

विषयः– छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालय (मैट्स विश्वविद्यालय,जिला–रायपुर) में शैक्षणिक सत्र 2024–25 में संचालित एवं अध्यादेश में प्रकाशित पाठ्यक्रमों की शुल्क निर्धारण करने के संबंध में।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 36(8)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में मैट्स विश्वविद्यालय,रायपुर, में शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिये आयोग द्वारा निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है।

विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क का विवरणः–

सं.क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	आयोग द्वारा वर्ष 2024–25 हेतु अनुमोदित शुल्क (रू.में)
1	MBA	161000
2	BBA (Marketing+HR/ Finance)	66000
3	MCA	71000
4	M.Sc. CS (Computer Science)	36000
5	BCA	56000
6	BSC (ANIMATION & GRAPHIC DESIGNING)	56000
7	PGDCA	28000
8	DCA	16000
9	BSC PCM	33000

क्रमशः02

O/C

10	BSC BIOTECHNOLOGY	57000
11	BSC MICROBIOLOGY	37000
12	MSC MICROBIOLOGY	45000
13	MSC Mathametics	33000
14	MSC CHEMISTRY	33000
15	MSC ZOOLOGY	31000
16	MSC BOTONY	31000
17	B.COM (Hons)	46000
18	M.Com	25000
19	B.ED	56000
20	MA EDUCATION	31000
21	B.P.ED	43000
22	*PG DIPLOMA IN YOGA EDUCATION*	15000
23	M.A. YOGA EDUCATION	21000
24	B.TECH Hons (CIVIL,MECH, MINING CSE, AERO)	81000
25	DIP IN (MECH, Civil)	46000
26	M.TECH (CSE & TURBO MECHINARY, MECH, Research, POWER ELECTRONICS, Computer Aided Structural Engineering)	71000
27	BSC FASHION DESIGNING	49000
28	BSC INTERIOR DESIGNING	49000
29	M.DESIGN	56000
30	M.A. ENGLISH	31000
31	M.A. HINDI	21000
32	B.A. HONS (ENGLISH WITH MASS COMMUNICATION)	31000

क्रमशः03

33	B.A. HONS. (HINDI WITH JOURNALISM & TOURISM)	21000
34	M.A. PSYCHOLOGY	26000
35	B.A. HONS (APPLIED PSYCHOLOGY)	26000
36	PGDGC (PGDIP IN GUIDENCE & COUNSELLING)	16000
37	M.Sc. Psychology	31000
38	B.Sc. Psychology	31000
39	DJMC DIP. IN JOURNALISM & MASS COMMUNICATION	16000
40	B.A. HISTORY-POLOTICAL- SOCIOLOGY)	18000
41	M.S.W.	36000
42	BA LLB	66000
43	LLB	41000
44	LLM	66000
45	BECHALOR OF LIBRARY SCIENCE	29000
46	MASTERS OF LIBRARY SCIENCE	36000
47	B.PHARMACY	86000
48	D. PHARMACY	86000
49	B.Sc. Forensic Science	71000

1. अनुमोदित कुल शुल्क में से 10 % राशि विकास शुल्क होगी। इसका लेखा पृथक से रखना होगा। विकास शुल्क की राशि का उपयोग नियमानुसार विश्वविद्यालय के विकास मे करना होगा।

2. प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिये निर्धारित शुल्क वार्षिक है तथा यह शुल्क सत्र 2024–25 में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित समयावधि पूरी होने तक लागू रहेगी।

3. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में से यदि किसी पाठ्यक्रम के लिए शुल्क राशि का निर्धारण राज्य की शुल्क निर्धारण समिति द्वारा किया गया है, तो उस पाठ्यक्रम हेतु वही शुल्क राशि मान्य होगी।

क्रमशः03

4. प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु शुल्क में सम्मिलित समस्त शुल्क यथा रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में शुल्क सहित समस्त शुल्क शामिल हैं, तथापि परीक्षा शुल्क, पूरक परीक्षा एवं पुनर्मूल्यांकन शुल्क, यातायात/बस चार्जेस, छात्रावास/मेस चार्जेस आदि वैयक्ति व्यय पृथक से लिये जा सकेंगे परंतु उनका लेख भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

5. आगामी वित्तीय वर्ष की समीक्षा के साथ उक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों की तुलना, अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों से कर प्रस्तुत करना होगा। अंतर के कारणों को स्पष्ट करते हुए यदि लागतें बढ़ी तो उसकी पूर्ति कहाँ से की गई, स्पष्ट करनी होगी, यदि लागते कम हुई तो अधिक वसूली गई फीस छात्रों को वापस करनी होगी।

6. आयोग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024—25 हेतु अनुमोदित शुल्क से यदि विश्वविद्यालय द्वारा अधिक शुल्क विद्यार्थियों से लिया गया है, तो इस राशि को विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को वापस करना होगा अथवा इसका समायोजन आगामी सत्र में करना होगा तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी आयोग कार्यालय को अनिवार्य रूप से 15 दिवस के अंदर देनी होगी।

7. विश्वविद्यालय द्वारा यदि किसी पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक सत्र 2024—25 में शुल्क निर्धारण आयोग कार्यालय से नही कराया गया है तो वर्तमान में लिये जा रहे शुल्क की जानकारी आयोग कार्यालय को तुरंत प्रेषित किया जायें। यह शुल्क किसी भी स्थिति में पूर्ववर्ष में आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक नही होना चाहिए।

8. समस्त निजी विश्वविद्यालयों को आगामी प्रत्येक वर्षो में शैक्षणिक शुल्क का निर्धारण आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु माह अप्रेल—मई में अनिवार्य रूप से कराया जाना होगा। जो विश्वविद्यालय माह अप्रेल—मई में शुल्क का निर्धारण नहीं करवायेंगे तो यह माना जायेगा कि वे पूर्व वर्ष में निर्धारित शुल्क में किसी तरह की वृद्धि नही करेंगें, किन्तु इस संदर्भ में आयोग को विश्वविद्यालय द्वारा जून माह के पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।

9. जिन विषयों में शुल्क का निर्धारण आयोग द्वारा अनुमोदित नही करवाया जायेगा, उन विषयों में विश्वविद्यालय को प्रवेश देने की पात्रता नही होगी।

(के.के. चंद्राकर)
सचिव
छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक
आयोग(छ.ग.)